माननीय पी.के. जैन, न्यायमूर्ति के समक्ष

वकील चंद-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सी.आर.एल. 1995 का एम. नं. 7470-एम.

15 जनवरी, 1996

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226/227-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482-आजीवन कारावास दोषी की पूर्व-परिपक्व रिहाई के बारे में निर्देश-धारा 2 (डी)-एड्स (एचआईवी-I) से पीड़ित याचिकाकर्ता-निर्देशों के तहत समय से पहले रिहाई की मांग करने वाला याचिकाकर्ता-उत्तरदाताओं द्वारा इस आधार पर रिहाई को खारिज कर दिया गया कि जघन्यअपराध किया गया था-दोषी एड्स से पीड़ित है और यदि रिहा किया जाता है तो अन्य नागरिकों को भी वायरस से संक्रमित कर सकता है-ऐसी अस्वीकृति कानून द्वारा उचित नहीं है-सार्वजनिक प्राधिकरण में निहित सभी प्रशासनिक शक्तियों के अभ्यास को प्रासंगिकता और कारण से सूचित किया जाना चाहिए।

माना गया है कि हमारे संविधान के तहत, दंड नीति के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना उद्देश्यपूर्ण है क्योंकि अपराधी की कारावास को सामाजिक सुरक्षा और व्यक्तिगत पुनर्वास के उपाय के रूप में मंजूरी दी गई है। पेनोलॉजी में रुचि का केंद्र व्यक्ति है और लक्ष्य उसे समाज के लिए बचाना है। शीर्ष न्यायालय ने बार-बार माना है कि आपराधिक न्याय के सभी पहलू संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि केवल दोषसिद्धि के कारण ही दोषियों को उन सभी मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है जो उनके पास अन्यथा हैं।

(पैरा 8)

इसके अलावा, यह माना गया कि निर्देशों के पैरा 2 (डी) को पढ़ने से संकेत मिलेगा कि राज्य सरकार ने समय से पहले रिहाई के प्रयोजनों के लिए अपराधों और शर्तों को स्वयं वर्गीकृत किया है। एक बार यह वर्गीकरण हो जाने के बाद, दोषी की समय से पहले रिहाई के सवाल पर इन निर्देशों की कसौटी पर विचार करना होगा, अन्यथा नहीं। निर्देशों के पैरा 2 (डी) की प्रयोज्यता के प्रयोजनों के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि संबंधित व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और वह कैंसर या एड्स जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और टीबी के तीसरे चरण के परिणाम में निकट भविष्य में मृत्यु की संभावना है। इस पैरा के अंतर्गत आने वाले मामले को इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अपराध बहुत जघन्य, भयानक या क्रूर था।

(पैरा 9)

इसके अलावा, राज्य सरकार ने कुछ शर्तों को निर्धारित करके संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में निर्देशों का प्रचार करते हुए उचित ध्यान रखा है। यदि ऐसी आशंका है कि यदि रिहा किया गया, तो याचिकाकर्ता अन्य नागरिकों में वायरस को संक्रमित कर देगा, तो उसके जेल के कैदियों के लिए भी इसी तरह के परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए उचित चिकित्सा सुविधा संबंधित जेल या राज्य की किसी अन्य जेल में उपलब्ध नहीं है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सार्वजनिक प्राधिकरण में निहित सभी प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग को प्रासंगिकता और कारण से किया जाना चाहिए अपनी लाभकारी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए राज्य को अपने द्वारा जारी निर्देशों (अनुलग्नक पी. 1) के अनुसार याचिकाकर्ता की पूर्व-परिपक्व रिहाई की सिफारिश पर सख्ती से विचार करना चाहिए था।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ता की ओर से एल. एच. सी. चौधरी, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए आर. एस. कॉलर, ए. ए.जी हरियाणा।

<u>निर्णय</u>

पीके जैन, जे

(1) वकील चंद सिरीर चंद का बेटा है, जो केंद्रीय जेल, अंबाला में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, उसने यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक उपयुक्त रिट या निर्देश जारी करने के लिए दायर की है, जिससे दिनांक 6 मई, 1994 (अनुलग्नक पी.2) के आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की पूर्व-परिपक्व रिहाई की सिफारिश को खारिज कर दिया गया है, और उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

(2) संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के साथ दो अन्य सह-अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 302/392/34 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया और 11 दिसंबर, 1986 के निर्णय द्वारा दोषी ठहराया गयाऔर धारा 302, आईपीसी के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, धारा 392, आईपीसी के तहत अपराध के लिए 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। और 15 दिसंबर, 1986 के आदेश द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध के लिए 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 23 फरवरी, 1989 को चार सप्ताह की पैरोल पर रिहा किया गया था और 24 मार्च, 1989 को आत्मसमर्पण करना था। हालाँकि, वह निर्देश के अनुसार जेल में आत्मसमर्पण करने में विफल रहे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 28 अप्रैल, 1993 को जेल में फिर से भर्ती कर दिया गया। उन्हें 24 मार्च 1989 से 27 अप्रैल 1993 तक पैरोल से अनुपस्थित रहने के लिए कैथल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 20 दिसंबर 1994 के आदेश द्वारा हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 8/9 के तहत दोषी ठहराया गया था और 3 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। याचिकाकर्ता को दी गई यह सजा पहले से दी गई सजा तक लगातार चलने के लिए बनाई गई है।

(3) याचिकाकर्ता 2 मई, 1986 को 17 वर्ष का था और इसलिए उसे 21 वर्ष की आयु तक किशोर और बोरस्टल जेल में रखा गया था। याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि वह एड्स सेंटर, पी.जी.आई., चंडीगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार एड्स (एच.आइ.वी.टी.) का मरीज है। अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, अंबाला ने भारत के संविधान की धारा 161 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 4 फरवरी, 1993 (अनुलग्नक पी.l) के निर्देशों के पैरा 2 (डी) के तहत याचिकाकर्ता की पूर्व-परिपक्व रिहाई को अग्रेषित और अनुशंसित किया था। राज्य स्तरीय समिति ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया लेकिन उसकी अपरिपक्व रिहाई की सिफारिश करने से इनकार कर दिया। तदनुसार, प्रत्यर्थी राज्य ने निम्नलिखित कारणों से दिनांक 6 मई, 1994 (अनुलग्नक पी.2) के आदेश द्वारा मामले को खारिज कर दियाः -

" (i) किया गया अपराध बहुत ही जघन्य, भयानक और क्रूर था क्योंकि डकैती की प्रक्रिया में उसने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी थी जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान सौंप दिया था, लेकिन इस आजीवन दोषी वकील चंद ने उसकी हत्या कर दी थी।

(ii) जैसा कि बताया गया है, इस जीवन के दोषी को चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार सकारात्मक परिणामों के साथ एड्स हो रहा है। यदि इस आजीवन दोषी को समय से पहले रिहा कर दिया जाता है तो वह देश के अन्य नागरिकों के बीच भी वायरस को संक्रमित कर सकता है और हताशा में अपराध को दोहरा सकता है।

(iii) जेल में रहते समय चिकित्सा अधिकारी उसके स्वास्थ्य पर निरंतर नजर रख सकता है और निर्धारित सभी संभावित चिकित्सा सुविधाओं और परिस्थितियों में आवश्यक सावधानियों का विस्तार कर सकता है। "

इसलिए यह याचिका दायर की गई है।

(4) उत्तरदाताओं को नोटिस दिया गया था। विवरणी में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने सत्र विचारण में उस पर अधिरोपित दंडादेश में से केवल 4 वर्ष 9 माह और 9 दिन की सजा पाई है और इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता को दिनांक 20 दिसम्बर, 1994 के आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित दंडादेश भुगतना है। यह भी कहा गया है कि राज्य स्तरीय समिति ने याचिकाकर्ता को समय से पहले रिहा करने की सिफारिश नहीं की थी, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने उस अवधि के दौरान एड्स से संपर्क किया जब वह पैरोल पर अनुपस्थित था। उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, उसे कोई पूर्व-परिपक्व रिहाई नहीं दी जा सकती है।

(5) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

(6) यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को आजीवन कारावास की सजा हो रही है। प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिटर्न में यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को विशेषज्ञ की चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार सकारात्मक परिणामों के साथ एड्स हो रहा है। यह भी विवादित नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने आजीवन कैदियों की समय से पहले रिहाई के संबंध में एक नीति (अनुलग्नक पी.l) तैयार की है। उक्त निर्देशों (अनुलग्नक पी.l) का पैरा 2 (डी) हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, जो नीचे दिया गया हैः

"सरकार द्वारा नामित चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर इन कैदियों को रिहा करने पर विचार किया जा सकता है। बीमारी की पुष्टि के लिए दोषियों की इस तरह की रिहाई के 3 महीने बाद फिर से चिकित्सा जांच की जानी चाहिए।

रिहाई की शर्तों में आवधिक चिकित्सा पुनः परीक्षा और जेल में पुनः प्रवेश के संबंध में एक प्रावधान होना चाहिए यदि रोगी अब ऐसी बीमारी से पीड़ित नहीं है या ठीक होने की राह पर है।"

(7) अधीक्षक, केंद्रीय जेल, अंबाला ने निर्देशों (अनुलग्नक पी.l) के उपरोक्त पैरा 2 (डी) के तहत याचिकाकर्ता की पूर्व-परिपक्व रिहाई की सिफारिश की थी क्योंकि विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता एड्स का मरीज है) । राज्य स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर उपरोक्त तीन कारणों से मामले को खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार, यह देखा जाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता के मामले को पूर्व-परिपक्व रिहाई के लिए अस्वीकार करने में प्रतिवादी-राज्य की यह प्रशासनिक कार्रवाई कानून द्वारा उचित है।

(8) हमारे संविधान के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दंडात्मक नीति के रूप में वंचित करना उद्देश्यपूर्ण है क्योंकि अपराधी के कारावास को सामाजिक रक्षा और व्यक्तिगत पुनर्वास के उपाय के रूप में स्वीकृत किया जाता है। पेनोलॉजी में रुचि का केंद्र व्यक्ति है और लक्ष्य उसे समाज के लिए बचाना है। समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक न्याय के सभी पहलू संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि शीर्ष न्यायालय ने भुवन मोहन पटनायक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1) मामले में कहा था। सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपतियों द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि दोषियों को केवल दोषसिद्धि के कारण उन मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है जो अन्यथा उनके पास हैं। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (2) में उनके प्रभुत्वों ने आगे स्पष्ट किया कि संविधान का भाग III द्वार पर कैदी के साथ अलग नहीं होता है, और न्यायिक निरीक्षण कैदी के सिकुड़े हुए मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यदि जेल प्राधिकरण द्वारा उनका उल्लंघन किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है या उन्हें रोक दिया जाता है।

(9) निर्देशों के पैरा 2 (डी) को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार ने पूर्व-परिपक्व रिहाई के प्रयोजनों के लिए स्वयं अपराधों और शर्तों को वर्गीकृत किया है। एक बार यह वर्गीकरण किए जाने के बाद, दोषी की पूर्व-परिपक्व रिहाई के सवाल पर इन निर्देशों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। निर्देशों (अनुलग्नक पी 1) के पैरा 2 (डी) की प्रयोज्यता के प्रयोजनों के लिए यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि संबंधित व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और वह कैंसर या एड्स जैसी घातक बीमारी और टी.बी. के तीसरे चरण से पीड़ित है। निकट भविष्य में मृत्यु होने की संभावना है। इस पैरा के भीतर आने वाले मामले को इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अपराध बहुत ही जघन्य, भयानक या क्रूर था। इसका स्पष्ट कारण यह है कि हर हत्या में क्रूरता का तत्व होता है और हत्या अपने आप में एक जघन्य अपराध है। कैदी द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता और उस पर लगाए गए दंड की प्रकृति निर्देशों के पैरा 2 (डी) की सहायता को लागू करने के लिए प्रासंगिक नहीं है। इसलिए, कारण नं. 1, ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, याचिकाकर्ता के मामले की अस्वीकृति के लिए पूर्व-परिपक्व रिहाई कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

(10) जहां तक पुनः प्रस्तुत किए गए शेष दो कारणों का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त पैरा में उल्लिखित कुछ शर्तों को विहित करते हुए निर्देशों (अनुलग्नक पी1) को प्रख्यापित करते समय उचित सावधानी बरती है। यदि यह आशंका है कि यदि रिहा किया जाता है, तो याचिकाकर्ता अन्य नागरिकों के बीच वायरस को संक्रमित कर सकता है, तो इसी तरह का परिणाम उसके जेल के कैदियों के लिए भी उत्पन्न हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसी खतरनाक और घातक बीमारी के इलाज के लिए उचित चिकित्सा सुविधा विचाराधीन जेल में या राज्य की किसी अन्य जेल में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के मामले को पूर्व-परिपक्व रिहाई के लिए मनमाने तरीके से अस्वीकार करने के लिए अपनी प्रशासनिक कार्रवाई का प्रयोग किया है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विपरीत है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सार्वजनिक प्राधिकरण में निहित सभी प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग को प्रासंगिकता और कारण, उस उद्देश्य के संबंध में प्रासंगिकता और उस तरीके के संबंध में तर्क दोनों द्वारा सूचित किया जाना चाहिए जिसमें वह ऐसा करने का प्रयास करता है।अपनी लाभकारी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए राज्य को अपने द्वारा जारी निर्देशों (अनुलग्नक पी. 1) के अनुसार याचिकाकर्ता की पूर्व-परिपक्व रिहाई की सिफारिश पर सख्ती से विचार करना चाहिए था।

(1) ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 2092.

(2) ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1675.

(11) साधारणतया, यह न्यायालय उत्तरदाता-सरकार को पूर्वगामी टिप्पणियों के आलोक में उसकी पूर्व-परिपक्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश देता, लेकिन मामले के विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियां मुझे एक अलग रास्ता अपनाने के लिए मजबूर करती हैं। प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल विवरणी में तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार किया जाता है। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि निर्देशों के पैरा 2 (घ) में कोई संशोधन किया गया है (अनुलग्नक पी1) । मामले को उत्तरदाताओं को पुनः विचार के लिए वापस भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

(12) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, इस याचिका की अनुमति दी जाती है। आदेश (अनुलग्नक पी.2) रद्द कर दिया गया है। प्रतिवादियों को जिला मजिस्ट्रेट, अंबाला की संतुष्टि के अनुसार सामान्य नियमों और शर्तों पर याचिकाकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा